बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

पो०–बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना–800014

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

P.O.-BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA – 800014

का०आ०सं०: बि०प०वि०वि० / कु०स० / प्रशा० / सं० सं.17 / आवास / 03 / 2020 / Reg. 90 दिनांक : 31/05/2024

कार्यालय आदेश

आवास आंवटन समिति द्वारा दिनांक 20.04.2024 को हुई बैठक में की गई अनुशंसा पर माननीय कुलपति महोदय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में पूर्व से निर्गत आदेश संख्या 111 / कु०स० / बि०प०वि०वि०, पटना–सह–पठित ज्ञापांक 356 दिनांक 29.06.2019 के कंडिका–4, 7 एवं 8 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। पूर्व निर्गत आदेश के शेष सभी कंडिका यथावत है।

विश्वविद्यालय में निम्नांकित तीन प्रकार के आवास उपलब्ध है:–

क्रम सं०	कमरों की संख्या	कैटोगरी
1	3	B
2	2	C
3	1	D

विश्वविद्यालय के अधीन उपलब्ध सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराया निर्धारण के संबंध में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में लागू करने का निर्णय लेते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा सरकारी आवासीय भवनों का मानक किराया निम्न रूपेण निर्धारित किया जाता है:–

(1)

कमरों की संख्या	कैटोगरी	मानक किराया	अभ्युक्ति
3	B	0.75 रू० प्रति वर्ग की दर से 735 / – रू० प्रति माह	Teaching / Non-Teaching staff के मामले में यह कटौती H.R.A. की कटौती के अतिरिक्त होगी।
2	C	0.60 रू० प्रति वर्ग की दर से 418 / – रू० प्रति माह	
1	D	0.39 रू० प्रति वर्ग की दर से 132 / – रू० प्रति माह	

(2) किसी भी कर्मचारी / पदाधिकारी को आवास आवंटन की तिथि से उपर्युक्त दर से मानक किराया मद में वेतन / पारिश्रमिक से मानक कटौती की जायेगी।

(3) आवंटियों से जलकर / मलकर मद में अतिरिक्त राशि की वसूली अलग से नहीं की जायेगी।

(4) मानक किराया राशि की गणना पूर्ण रूप में की जायेगी।

(5) लिविंग ऐरिया का मानक किराया निर्धारण के क्रम में गैराज, सुरक्षाकर्मी का कक्ष एवं सरभेंट रूम का फ्लोर एरिया शामिल नहीं होगा।

(6) बाह्य मानव बल, जिन्हें विश्वविद्यालय हित में आवश्यकताओं के मद्देनजर आवास आवंटित किए जायेंगे। यह आवंटन किसी भी समय 1 माह पूर्व की सूचना के साथ रद्द किया जा सकता है। बाह्य मानव बल आवंटी को उपर्युक्त मानक किराया प्रति माह विश्वविद्यालय के संगत बजट में स्वयं जमा कर के इसके रसीद की छाया प्रति वित्त नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा नहीं करने वाले बाह्यश्रोत मानवबल आवंटी का मानक किराया उनके पारिश्रमिक से कटौती करने के लिए बाह्यश्रोत ऐजेन्सी को सूचना दिया जाना है।

(7) बिजली मद में सभी आवटियों को अलग से नियमानुसार विद्युत विभाग को भुगतान करना होगा तथा इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन पर नहीं होगा।सरकारी आवास खाली करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आदेयता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्पदा कार्यालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित विद्युत विभाग से स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन प्रमाण पत्र सम्पदा कार्यालय को जमा करेगें।

(8) कार्यालय आदेश सं० 322/सम्पदा/बि०प०वि०वि०, पटना दिनांक 18.07.2022 के क्रमांक 08 एवं 09 पर सं०गाँ०ग०प्रौ०सं० अंतर्गत क्रमशः आवास सं० 108 एवं 302, श्री राजकुमार (ड्राइवर) एवं श्री मनोज कुमार चौधरी (रसोईया) को आवंटित किया गया था। विशेष परिस्थिति में इन दोनों का लंबित किराया आवास आवंटन की तिथि से 418 रूपये प्रतिमाह की दर से लिया जाना है। इसके बाद इस कार्यालय आदेश के अनुरूप तय मानक किराया लिया जायेगा।

इसमें कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्वीकृति प्राप्त है।

माननीय कुलपति के आदेश से
ह/–
कुलसचिव

ज्ञापांक : बि०प०वि०वि०/कु०स०/प्रशा०/सं० सं० 17/31/17/03/2020/293 / Reg. 293 **दिनांक : 31/05/2024**

प्रतिलिपि – (1) सभी निदेशक/सभी अधिष्ठाता/कुलसचिव/सभी पदाधिकारी/वित्त नियंत्रक/सम्पदा पदाधिकारी/अन्य सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(2) सलाहकार (आई०सी०टी०) को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/05/24
कुलसचिव